

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-उपप्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	कानपुर	स्व० श्री कमलेश	सर्वश्री मयंक ट्रेडर्स, उन्नाव	05-07-2025	28-09-2025	श्रीमती अन्जू गुप्ता, पत्नी	10.00 लाख
2	लखनऊ	स्व० श्री अखिलेश कुमार	सर्वश्री स्वीटी फूड प्रोडक्ट, लखनऊ	03-05-2025	11-09-2025	श्रीमती पुष्पा, पत्नी	10.00 लाख
3	लखनऊ	स्व० श्री शंकर दयाल वर्मा	सर्वश्री किसान टायर, लखीमपुर खीरी	09-06-2025	28-09-2025	श्रीमती राज रानी वर्मा, पत्नी	10.00 लाख
4	गोरखपुर	स्व० श्री अखिलेश कुमार जायसवाल	सर्वश्री शिवम इण्टरप्राइजेज, देवरिया	02-03-2023	02-02-2025	श्री दयानंद जायसवाल, पिता	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, कानपुर-प्रथम, लखनऊ जोन-प्रथम/द्वितीय, गोरखपुर को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, कानपुर-ए, लखनऊ-ए, सीतापुर, गोरखपुर-बी को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

120042
श्रीमती...
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

उपस्थित राज्य कर,

दिनांक 25-10-25

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।